छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 05/2011/परीक्षा/दिनांक 18/11/2011

प्रकाशन की तिथि 23/11/2011	**आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22/12/2011**

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर कार्यालय के रिक्त पदों, जिनका विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है, के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

पद क्रमांक	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में विकलांग के लिए वर्गवार आरक्षित पद				योग
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
01	सहायक ग्रेड–3	8	3 (1 बैकलॉग)	5 (2 बैकलॉग)	2	2	1	2	1	–	1	–	–	**18**
02	स्टेनोटाइपिस्ट	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**
03	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	–	–	1 (बैकलॉग)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
04	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	1	–	1 (बैकलॉग)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**2**
05	वाहन चालक	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**3**
06	भृत्य	4	1	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	**8**
07	फर्राश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1**
	योग :–	**18**	**4**	**11**	**3**	**3**	**1**	**3**	**1**	**–**	**1**	**–**	**–**	**36**

नोट :–

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है।**
2. **उपर्युक्त तालिका में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी/मूल निवासी आवेदकों के लिए है।**
3. **विकलांगता का प्रकारः–** अस्थि बाधित विकलांग ही मान्य होगा।
4. **परिवीक्षा अवधि :–** चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति **2** वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
5. उपर्युक्त तालिका में दर्शित जिन पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिए पद आरक्षित नहीं है, उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी भी अनारक्षित श्रेणी के ही माने जाएंगे, किन्तु वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर **आयु तथा शुल्क** में छूट मान्य होगी।

(2)– पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव :–

(2.1) सहायक ग्रेड–3ः–

(i) पद का नाम :– सहायक ग्रेड–3

(ii) सेवा श्रेणी :– तृतीय श्रेणी

(iii) वेतनमान रूपये :– 5200–20200+ग्रेड पे–1900/–

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।
3. छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए।

नोटः– छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में नियमित/संविदा में 2 वर्ष कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2.2) स्टेनोटाइपिस्टः–

(i) पद का नाम :– स्टेनोटाइपिस्ट

(ii) सेवा श्रेणी :– तृतीय श्रेणी

(iii) वेतनमान रूपये :– 5200–20200+ग्रेड पे–1900/–

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति।
3. छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए।

नोटः– छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में नियमित/संविदा में 2 वर्ष शीघ्रलेखन/स्टेनोटाइपिस्ट कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2.3) डाटा एन्ट्री ऑपरेटरः–

क्रमशः

(i) पद का नाम :— डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
(ii) सेवा श्रेणी :— तृतीय श्रेणी
(iii) वेतनमान रूपये :— 5200—20200+ग्रेड पे—2400/—
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय—समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :—
1. कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण।
अथवा
कक्षा दसवीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।
2. छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन की गति।

नोटः— छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में नियमित/संविदा में 2 वर्ष कम्प्यूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2.4) शीघ्रलेखक ग्रेड—3ः—
(i) पद का नाम :— शीघ्रलेखक ग्रेड—3
(ii) सेवा श्रेणी :— तृतीय श्रेणी
(iii) वेतनमान रूपये :— 5200—20200+ग्रेड पे—2800/—
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय—समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :—
1. मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा या (10+2) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. छ.ग. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण—पत्र धारण करता हो।
3. छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5000 (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है।

नोटः— छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में नियमित/संविदा में 2 वर्ष शीघ्रलेखन/स्टेनोटाइपिस्ट कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2.5) वाहन चालकः—
(i) पद का नाम :— वाहन चालक
(ii) सेवा श्रेणी :— तृतीय श्रेणी
(iii) वेतनमान रूपये :— 5200—20200+ग्रेड पे—1900/—
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय—समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव :—
1. आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण।
2. ड्राइविंग लायसेंस (लाईट मोटर व्हीकल)।
3. छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में नियमित/संविदा/कलेक्टर दर में 3 वर्ष वाहन चालक का अनुभव।

नोटः— वाहन की इलेक्ट्रिक फिटिंग, टायर बदलना एवं मशीनरी का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए।

(2.6) भृत्यः—
(i) पद का नाम :— भृत्य
(ii) सेवा श्रेणी :— चतुर्थ श्रेणी
(iii) वेतनमान रूपये :— 4750—7440+ग्रेड पे—1300/—
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय—समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :—
1. आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण।

नोटः— छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में नियमित/संविदा/कलेक्टर दर में 2 वर्ष भृत्य/श्रमिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2.7) फर्राशः—
(i) पद का नाम :— फर्राश
(ii) सेवा श्रेणी :— चतुर्थ श्रेणी
(iii) वेतनमान रूपये :— 4750—7440+ग्रेड पे—1300/—
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय—समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :—
1. आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण।

नोटः— छत्तीसगढ़ शासन/प्रांतीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में नियमित/संविदा/कलेक्टर दर में 2 वर्ष फर्राश/श्रमिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) महत्वपूर्ण टीप :—

3.1. अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अनुभव का "प्रमाण पत्र" आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। **आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की शैक्षणिक अर्हताओं एवं अनुभव का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**

3.2. आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र आयोग को भेजने के बाद उन्हें आवेदन पत्र की कमी—पूर्ति/आवेदन पत्र में संशोधन करने का कोई अवसर आयोग द्वारा नहीं दिया जाएगा।

3.3. 6 माह से कम अनुभव को निरंक माना जाएगा तथा 6 माह से अधिक अनुभव को 01 वर्ष माना जाएगा।

(4)— निर्धारित आयु सीमा :— अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः—

4.1 सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चतर आयु सीमा में दी गई छूटेंः—

4.1.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

4.1.2 छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। **इस कंडिका के तहत छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर आयु में छूट संबंधी अन्य कंडिकाओं के तहत कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।**

4.1.3 ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके **परिणाम— स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः—"छटनी किये गये सरकारी सेवक"** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

4.1.4 ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा

क्रमशः

पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी **परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।**

4.1.5 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

4.1.6 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–2–/2002/ 1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी **तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

4.1.7 स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

4.1.8 विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

4.1.9 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ''ग्रीनकार्ड'' धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.1.10 आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक–सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.1.11 राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4.1.12 विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण टीपः– (1) छ.ग. शासन के ऐसे स्थायी/अस्थायी/ वर्कचार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगम, मंडल, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी जो कंडिका 4.1.2 के तहत छूट न लेकर किसी अन्य कंडिका के तहत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो निर्धारित स्थान पर संबंधित कंडिका का उल्लेख करें।

महत्वपूर्ण टीपः– (2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे–छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महत्वपूर्ण टीपः– (3) आयु की गणना दिनांक – 01.01.2012 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) आवेदन–पत्र भरने के संबंध में ''निर्देश/जानकारी'':–

आवेदन–पत्र तीन प्रपत्रों में सन्निहित है :–

5.1 प्रपत्र (एक) – आवेदन पत्र।

5.2 प्रपत्र (दो) – आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों, यथा– हायर सेकेण्डरी, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची, उपाधि, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आयु में छूट चाही गई है तो जिन प्रावधानों के तहत अभ्यर्थी आयु में छूट प्राप्त करना चाहता है, उससे संबंधित सुसंगत प्रमाण पत्र/अन्य दस्तावेज आदि की जानकारी का उल्लेख प्रपत्र–दो में करें। **जिस क्रम से दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएंगे उसी क्रम से उन दस्तावेजों के ऊपर की ओर दाहिने कोने में पृष्ठ क्रमांक अंकित करें एवं वही पृष्ठ क्रमांक इस प्रपत्र में भी भरे जाएंगे।**

5.3 प्रपत्र (तीन) – अनुभव प्रमाण पत्र।

5.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

5.5 अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवार शासन द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

5.6 आवेदन–पत्र का प्रपत्र एक, दो एवं तीन सभी आवेदकों द्वारा भरा जाना है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवार जो उक्त श्रेणी में आरक्षण क्लेम करते हुए आवेदन कर रहे हों तो, उन्हें कंडिका 5.4/5.5 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।

(6)– आवेदन शुल्क :–

6.1 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिए उनके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर रूपये 300/– (रूपये तीन सौ) एवं शेष सभी श्रेणी (जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आवेदक भी आते हैं एवं जो जाति प्रमाण पत्र के अभाव में आयु सीमा, शुल्क में छूट एवं आरक्षण प्राप्त न करना चाहे) के लिए रुपये 400/– (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

6.2 आवेदक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा से आवेदन शुल्क का डी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा क्र. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर में देय हो, बनवाकर भेजेगा। **डी.डी. के पीछे आवेदक अपना नाम, पता, आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। रायपुर शहर** के आवेदकों से बैंक ड्रॉफ्ट के स्थान पर बैंकर्स चेक भी स्वीकार किया जा सकेगा। **रायपुर शहर के अतिरिक्त अन्य किसी शहर या स्थान का बैंकर्स चेक मान्य नहीं होगा।**

6.3 आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।

(7)– आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना :–

7.1 आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर द्वारा प्रकाशित **''रोजगार और नियोजन''** में इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र–एक, प्रपत्र–दो एवं प्रपत्र–तीन में मूलरूप में प्रयोग कर अथवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सुस्पष्ट रूप में भरा जाना चाहिए। टंकित एवं हस्त लिखित आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

7.2 जो आवेदन–पत्र इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.3 आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी आयोग की वेबसाईट **(www.psc.cg.gov.in)** से भी प्राप्त की जा सकती है। **आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर A-4 साईज पेपर में ही प्राप्त करें, अन्य पेपर साइज में डाउनलोड कर भरे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।**

7.4 **आवेदन–पत्र भेजने का पता :–**

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ0ग0)
पिन कोड – 492001.

टीपः– आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की शुल्क भी नहीं लौटाई जावेगी।

(8.1) आवेदक, आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं

क्रमशः

सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन–पत्र भरें। **प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित** करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है तथा **चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन–पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।**

(8.2) आयोग द्वारा प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के लिए आवेदकों के आवेदन पत्रों की प्राथमिक (अनंतिम) जांच के आधार पर उम्मीदवारों को प्रावधिक रूप से प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) में सम्मिलित होने हेतु सूचित किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के पश्चात् आवेदन पत्रों की विस्तृत संवीक्षा की जाएगी।

(9)– आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः– आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजें। इनके अभाव में आवेदन पत्र अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा।

9.1 आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र।

9.2 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (केवल पद क्र. 5, 6 एवं 7 के लिए)

9.3 अनुभव प्रमाण पत्र।

9.4 मान्यता प्राप्त मण्डल/बोर्ड से हाईस्कूल (10वीं) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।

9.5 मान्यता प्राप्त मण्डल/बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (12वीं) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।

9.6 छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद या किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन/हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र।

9.7 किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र।

9.8 छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

9.9 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

9.10 जाति प्रमाण पत्र :–

9.10.1 यदि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो, तो कंडिका 5.4/5.5 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.10.2 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला आवेदकों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

9.10.3 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

9.11 यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:–

9.11.1 तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

9.11.2 विज्ञापन की कंडिका – 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, एवं 4.1.7 के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

9.11.3 विज्ञापन की कंडिका– 4.1.8 के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र।

9.11.4 विज्ञापन की कंडिका– 4.1.9 के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ग्रीनकार्ड।

9.11.5 विज्ञापन की कंडिका– 4.1.10 के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र।

9.11.6 विज्ञापन की कंडिका–4.1.11 के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।

9.11.7 विज्ञापन की कंडिका–4.1.12 के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "चिकित्सा मंडल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र"।

9.12 आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।

टीपः– आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव आयोग को आवेदन पत्र भेजने की तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद की **प्रमाण पत्र** मान्य नहीं किया जाएगा।

(10)–नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

10.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे अपने आवेदन–पत्र सीधे आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु आयोग को आवेदन भेजने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

10.2 यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

10.3 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) तो लिया जाएगा, परन्तु प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(11)–आपराधिक अभियोजन :–

11.1 ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः–

1. जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
2. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या
3. किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
4. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
5. चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
6. परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
7. **परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या**
8. परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

क्रमशः

9. प्रवेश–पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11. **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।**

11.2 उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

1. आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

2. उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

2.1 आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

2.2 राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

2.3 यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

2.3.1 अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

2.3.2 अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(12)– पहचान चिन्ह :– उत्तर–पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर–पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर–पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर–पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। **लिखने के लिए केवल "काली स्याही" का प्रयोग करें।** उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी।

(13)–चयन प्रक्रिया :– उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के आधार पर होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव न्यूनतम है और इस अर्हता के होने मात्र से ही कोई आवेदक प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) हेतु बुलाये जाने का हकदार नहीं हो जाता है। यदि विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए सभी आवेदकों के आवेदन पत्रों की प्रारंभिक संवीक्षा/विस्तृत संवीक्षा (जैसी भी स्थिति हो) उपरान्त अर्ह/प्राविधिक रुप से अर्ह पाए गए सभी आवेदकों को प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) हेतु बुलाया जाना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षा उच्चतम अर्हताओं के आधार पर अथवा आयोग द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया द्वारा आवेदकों की संख्या को यथोचित सीमा तक कम कर सकेगा।

13.1. सहायक ग्रेड–3 हेतुः–

कौशल परीक्षाः–	कम्प्यूटर टाइपिंग (हिन्दी)	70 अंक
	कम्प्यूटर टाइपिंग (अंग्रेजी)	30 अंक
	कुल अंक	**100 अंक**

13.2. शीघ्रलेखक ग्रेड–3/स्टेनोटाइपिस्ट हेतुः–

कौशल परीक्षाः–	डिक्टेशन/टाइपिंग	50 अंक
	कम्प्यूटर टाइपिंग (हिन्दी)	30 अंक
	कम्प्यूटर टाइपिंग (अंग्रेजी)	20 अंक
	कुल अंक	**100 अंक**

13.3. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतुः–

कौशल परीक्षाः–	कम्प्यूटर टाइपिंग (हिन्दी)	70 अंक
	कम्प्यूटर टाइपिंग (अंग्रेजी)	30 अंक
	कुल अंक	**100 अंक**

13.4. वाहन चालक हेतु :–

कौशल परीक्षाः–	वाहन चालन परीक्षा	90 अंक
	साक्षात्कार	10 अंक
	कुल अंक	**100 अंक**

13.5. भृत्य/फर्राश हेतु :–

8वीं का प्रतिशत	50 अंक
अनुभव (2 वर्ष हेतु 10 अंक, अधिकतम 40 अंक)	40 अंक
साक्षात्कार	10 अंक
कुल अंक	**100 अंक**

(14)–प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा)/साक्षात्कार की सूचनाः–

14.1 प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा)/साक्षात्कार की सूचना डाक से आयोग द्वारा पर्याप्त समय पूर्व अभ्यर्थी को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा)/साक्षात्कार तिथि की जानकारी आयोग की वेब–साईट **www.psc.cg.gov.in** पर भी दी जाती है। अतएव यदि किसी अभ्यर्थी को प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा)/साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो अभ्यर्थी स्वयं आयोग कार्यालय से संपर्क कर अथवा आयोग की वेब–साईट से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

14.2 अभ्यर्थी को भेजे गए प्रवेश पत्र/सूचना पत्र से संबंधित डाक अभ्यर्थी को समय पर प्राप्त न होने अथवा विलंब से डाक प्राप्त होने के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप :– आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किये जाएंगे।

(15)– यात्रा व्यय का भुगतान :–

15.1 छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

15.2 **साक्षात्कार के लिए** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 15.1 में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(16)–आवेदन पत्र एवं अन्य बातें :–

16.1 अभ्यर्थी को पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी अभ्यर्थी से एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर उनके सभी आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जाएंगे।

16.2 एक से अधिक पद के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर भी आवेदन शुल्क एक ही लगेगा।

16.3 संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय क्रमांक, यथा – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

क्रमशः

9, 0 का ही प्रयोग करें।

(17)– आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देशः–

17.1 अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं। फोटो पर आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

17.2 स्वयं का पता लिखे दो लिफाफे (12c.m.X 25c.m.) अवश्य भेजें। आवेदन–पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एक 6/–रूपये का डाक टिकट लगा पोस्टकार्ड अवश्य संलग्न करें, जिस पर उन्हें आवेदन–पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जाएगी।

17.3 आवेदन–पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम" बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें। लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन–पत्रों की Sorting संभव नहीं हो पाता। अतएव यदि लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं पद का विवरण न देने से आवेदन पत्र प्रोसेस करने में चूक हो तो आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक एवं पदनाम लिखा जाना केवल आवेदन पत्रों की Sorting के लिए है, परन्तु चयन की प्रकिया में आवेदकों के मूल आवेदन पत्र के इन्द्राज ही अर्हता निर्धारण हेतु विचार में लिए जाते हैं। अतः अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि आवेदन पत्र के सभी आवश्यक खण्ड/खाने ठीक ढंग से भरे गए हैं।

(18)–भरे हुए आवेदन पत्र **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर** कार्यालय में **अंतिम तिथि 22/12/2011** के शाम 5.30 बजे तक जमा कर पावती प्राप्त करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो **दिनांक 22/12/2011 के शाम 5.30 बजे** तक आयोग कार्यालय में प्राप्त आवेदन ही विचार में लिए जाएंगे। **डाक के विलंब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।**

(19)– अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी :–

19.1 प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन–पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें।

19.2 यदि अभ्यर्थी के द्वारा आयोग को भ्रमित करने के उद्देश्य से कोई अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो उसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, आयोग कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

19.3 **त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन को, अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिए, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**

19.4 आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को समाप्त करने का निर्णय लेने पर किसी प्रकार की लिखित सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

19.5 मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उसकी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु आवेदक द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं अभ्यर्थी का मूल आवेदन ही विचार योग्य होगा। इस प्रकार यदि मूल आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाती है अथवा दी गई हो तो इसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(20)–विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

(21)–आयोग द्वारा विज्ञापनों व चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न जानकारी अभ्यर्थियों के हितार्थ समय–समय पर आयोग की वेब–साईट www.psc.cg.gov.in में दी जाती है। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि आयोग की वेब–साईट के सम्पर्क में रहकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

हस्ता/–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

नोट :– छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंधित है।

क्रमशः

प्रपत्र – एक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

सहायक ग्रेड–3/स्टेनोटाइपिस्ट/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/शीघ्रलेखक ग्रेड–3/ वाहन चालक/भृत्य/फर्राश पद हेतु

"आवेदन पत्र"

विज्ञापन क्रमांक 05/2011/परीक्षा/दिनांक 18/11/2011

विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक

पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक (आयोग द्वारा भरा जाएगा)

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का भली–भांति सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात् ही आवेदन पत्र भरें।
2. केवल काली स्याही वाले बॉल पेन से भरें।
3. आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन पत्र में समस्त जानकारियां सही भरें, असत्य/गलत जानकारी भरने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
5. छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के वैध जाति प्रमाण पत्र धारक ही आरक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के शेष सभी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत माने जाएंगे।
6. आवेदन शुल्क–बैंक ड्रॉफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नाम, जो **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा क्रं. 7237 न्यू शांतिनगर, रायपुर** पर ही देय (Payable) होना चाहिये।
7. अभ्यर्थी बॉक्स में उपयुक्त जानकारी ही भरें। जहां लागू न हो वहां बॉक्स खाली छोड़ दें।

(1) पद का नाम

(2) बैंक ड्रॉफ्ट क्र.

दिनांक

राशि

जारी करने वाले बैंक का नाम

(3) अभ्यर्थी का नाम:– अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे (सरनेम पहले लिखें) दो भागों के बीच एक बॉक्स खाली छोड़ें

(4) पिता/पति का नाम :–

(5) लिंग :–
पुरूष – M
महिला – F

(6) क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी हैं?
हाँ – Y
नहीं – N

(7) अ/श्रेणी – कोड नं.
अनारक्षित – 1

(7) ब/ यदि छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी हैं तो श्रेणी
अ.जा. – 2
अ.ज.जा. – 3
अ.पि.व. – 4
(गैर क्रीमीलेयर)

(8) क्या आप अपनी श्रेणी का आरक्षण/शुल्क/आयु में छूट हेतु लाभ लेना चाहते हैं?
हाँ – Y नहीं – N

यदि हां तो क्या आपने वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है?
हाँ – Y नहीं – N

(9) जन्म तिथि :–
दिनांक माह वर्ष

(10) आयु में छूट :– क्या अभ्यर्थी आयु में छूट चाहता है? हाँ – Y नहीं – N
यदि हाँ तो विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट संबंधी कंडिकाओं का सहीं क्रमांक लिखें एवं इससे संबंधित संलग्न दस्तावेज का पृष्ठ क्रमांक दें :–

दिनांक 01.01.2012 को आयु
वर्ष माह दिन

आयु में छूट संबंधी कण्डिकाओं के क्रमांक (4.1.1 से 4.1.12 में से)

दस्तावेज का पृष्ठ क्रमांक (प्रपत्र–2 में भरा गया क्रमांक)

(11) स्थायी पता :–

पिन कोड:–

(12) पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान डाक का पता :–

पिन कोड:–

क्रमशः ... 2

.... 2 ....

(13) **अ.** क्या आवेदक, विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक अर्हता धारण करता है? हाँ – **Y** नहीं – **N** ☐

(13) **ब.** क्या आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र रखता है? (पद क्रमांक 01 से 04 के लिए) हाँ – **Y** नहीं – **N** ☐

(13) **स.** क्या आवेदक, शैक्षणिक अर्हता में निर्धारित अनुभव रखता है? हाँ – **Y** नहीं – **N** ☐

(14) **शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण :–** (क्रमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न करें)

स. क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	श्रेणी/ग्रेड	प्राप्तांकों को प्रतिशत	प्रमाण पत्रों का पृष्ठ क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8वीं								
2	हाई स्कूल परीक्षा								
3	हायर सेकेण्डरी परीक्षा								
4	स्नातक								
5	हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा								
6	हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा								
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा								
8	अन्य								

(15) यदि आवेदक सेवारत हो या सेवारत रहा हो तो पूरा विवरण दें (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):–

पद का नाम	कार्यालय/संस्था का नाम	सेवा अवधि			यदि वर्तमान में सेवारत हैं तो क्या नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है	प्रमाण पत्र का पृष्ठ क्रमांक
		कब से	कब तक	प्रमाण पत्र की पृष्ठ संख्या		
					हां – **Y** नहीं – **N** ☐	

(16) यदि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (गैर क्रीमीलेयर) के अंतर्गत आता है एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है तो छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं ☐ में प्रमाण पत्र क्रमांक दर्शाएं। ☐

(17) क्या आवेदक कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया/हटाया गया, किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, या उसके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित है? यदि हां तो विवरण दें। क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित है? यदि हां तो विवरण दें। हाँ – **Y** नहीं – **N** ☐

(18) यदि आवेदक को संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया है? यदि हां तो विवरण दें:–

स्वयं का हस्ताक्षरित नवीनतम फोटो चिपकायें 4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापन की शर्तों/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी/परीक्षा नियमों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। मैं विज्ञापित पद के लिए निर्धारित आयु सीमा, आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं इत्यादि से संबंधित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाए अथवा अपात्रता का पता चले तो आयोग मेरी उम्मीदवारी उक्त पद पर चयन के किसी भी स्टेज पर निरस्त करते हुए अन्य वैधानिक कार्यवाही कर सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

हिन्दी	अंग्रेजी

स्थान :..

दिनांक :..

(अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा)

प्रपत्र – दो

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

इस प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अंकसूची, उपाधि/प्रमाण पत्र आदि की प्रतियों का विवरण भरा जाना है। जिस क्रम से दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं उसी क्रम से उन दस्तावेजों के ऊपर की ओर दाहिने कोने में पृष्ठ क्रमांक अंकित करना है, वही पृष्ठ क्रमांक इस प्रपत्र में भी भरा जाना है।

आवेदित पद का नाम :–____________________________आयोग का विज्ञापन क्रमांकः– **05/2011/परीक्षा/दिनांक 18/11/2011**

प्रमाण पत्र क्र.	संलग्न किए गए अंक सूची, उपाधि, प्रमाण पत्र/दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेज का पृष्ठ क्रमांक
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
(9)		
(10)		
(11)		
(12)		
(13)		
(14)		
(15)		

नोट :– जितनी संख्या में दस्तावेज संलग्न किए जाए, उसका उपर्युक्त कॉलम में विवरण लिखने के पश्चात् शेष रिक्त कॉलम को अभ्यर्थी एक तिरछी लकीर खींचकर क्रॉस कर दें।

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का पूरा नाम व पता

....

....

....

"प्रपत्र – तीन"

अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारुप

कार्यालय ....

क्रमांक : ....   दिनांक : ....

अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/.. पिता/पति का नाम .... निवास ग्राम/नगर .... तहसील ...., जिला ...., राज्य .... के हैं, जिन्होंने दिनांक .... से दिनांक .... तक (कुल .... वर्ष ....माह) इस छत्तीसगढ़ शासन/प्रान्तीय शासन/केन्द्रीय शासन/छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम में .... पद पर नियमित/संविदा/कलेक्टर दर से कार्य किया है/कर रहे हैं।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन/प्रान्तीय शासन/केन्द्रीय शासन/
छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम ....

....

....

मुहर ....

....